Manufacture of Raw Materials for Aerated Waters

3988. SHRI R. P. YADAV : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether raw materials like Citric Acid, Sodium Benzoate and Gum Arabic used in the manufacture of Concentrate/Beverage Bases utilized in the preparation of branded flavoured aerated waters are not manufactured in India and, therefore, imported ;

(b) whether other raw materials like flavouring essences and essential oils used in the manufacture of Concentrate/Beverage Bases utilized in the preparation of branded flavoured aerated waters are either wholly imported or merely compounded in India from imported raw materials ; and

(c) whether Concentrate/Beverage Bases utilized in the preparation of all branded flavoured aerated waters now marketed in India have an import content ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) *Citric Acid* : The indigenous production of Citric Acid is inadequate to meet the demand and therefore its import in limited quantities is being allowed.

Sodium Benzoate : Import of Sodium Benzoate was hitherto being allowed. Recently production of Sodium Benzoate has been started in the country and hence its import is not permitted.

Gum Arabic : As there is no commercial production of Gum Arabic, import of Gum Arabic is being permitted.

(b) Essential oils Odoriferous substances are permitted to be imported from which Concentrate/Beverage Bases are manufactured.

(c) Most of the branded flavoured aerated waters marketed in the country have an import content.

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना

3989. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1971 में जिन औद्योगिक उपक्रमों के लिये लाइसेंस दिये गये थे उनमें से उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं ;

(ख) लाइसेंस किस कसौटी के आधार पर दिये गये थे, और

(ग) ये उद्योग उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे; उन पर कितनी राशि खर्च की जायेगी तथा उनकी उत्पादन और रोजगार क्षमता कितनी होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ग). उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन उत्तर प्रदेश में नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये अप्रैल 1971 में कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया गया था। फिर भी उत्तर प्रदेश में नये उपक्रम स्थापित करने के लिए अप्रैल, 1971 में 9 आशयपत्र जारी किए गये। इन आशय पत्रों का संक्षिप्त विवरण, विवरण में दिया गया है, जो सभा-पटल पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या LT 607/71]

(ख) लाइसेंस/आशय पत्र निर्धारित नियमों के अनुसार तकनीकी समश्राव्यता, जीव्यता, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कठिनाइयों, नये उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता और पिछड़े क्षेत्रों के विकास आदि सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर उचित विचार करने के बाद गुणावगुण के आधार पर जारी किये जाते हैं।